

पत्र संख्या विधि-1(3) ईट भट्टा समा0यो0 (2011-2012)/129/ 1213005

/वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

दिनांक::लखनऊ::अप्रैल 25 ,2012

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

ईट-भट्टा समाधान योजना सीजन वर्ष 2011-2012(दिनांक 01-10-2011 से 30-9-2012तक) के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-1-(3)-ईट भट्टा समा0यो0-(2011-2012)-1286/ 1112082 दिनांक 19-12-2011 द्वारा निर्गत की गयी थी, जिसके साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या-क0नि0-1318/ग्यारह-2-2011-9(32)/09 दिनांक 19-12-2011 के प्रस्तर (16) में यह प्राविधान है कि यदि ईट भट्टा सीजन वर्ष 2011-2012 के पूर्व स्थापित एवं विभाग में पंजीकृत भट्टों से रुपये 358.85 करोड़ से कम धनराशि के लिए समाधान के विकल्प प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं तो समाधान योजना अपनाने वाले ऐसे भट्टों द्वारा अवशेष राशि के समानुपातिक रूप से इसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी और तदनुसार कमिशनर वाणिज्य कर द्वारा आगामी किशतों का निर्धारण माह फरवरी, 2012 के बाद अनुपातिक रूप से किया जायेगा अथवा समाधान योजना अस्वीकार करने पर भी शासन विचार कर सकता है । शासन के निर्देश के प्रस्तर (17) में प्राविधान है कि प्रस्तर (16) के अनुसार किशतों की समाधान राशि संशोधित किये जाने की स्थिति में सीजन वर्ष 2011-2012 के दौरान स्थापित ईट भट्टों को भी तदनुसार संशोधित समाधान राशि जमा करनी होगी ।

2- सीजन वर्ष 2011-2012 के लिए मुख्यालय के परिपत्र संख्या-विधि-1-(3)-ईट-भट्टा समा0यो0-(2011-2012)-13/ 1213002 दिनांक 03-04-2012 द्वारा समाधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 दिन अर्थात् दिनांक 03-03-2012 तक बढ़ा दी गयी थी । इस बढ़ायी गयी तिथि तक दिनांक 01-10-2011 से पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत भट्टों से प्राप्त समाधान प्रार्थना पत्रों एवं ऐसे भट्टों से पूरे सीजन में प्राप्त होने वाली समाधान राशियों के संदर्भ में समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर द्वारा आंकड़े मुख्यालय उपलब्ध कराये गये हैं, जिसकी समीक्षा किये जाने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि उक्त अन्तिम तिथि 03-03-2012 तक दिनांक 01-10-2011 से पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत भट्टों के प्राप्त समाधान प्रार्थना पत्रों के अनुसार पूरे सीजन वर्ष 2011-2012 में ` 334.12 करोड़ समाधान राशि ऐसे पुराने भट्टों से प्राप्त होगी, जबकि पूरे सीजन में ऐसे भट्टों से ` 358.85 करोड़ प्राप्त होनी चाहिए थी ।

3- इस प्रकार दिनांक 1-10-2011 से पूर्व स्थापित एवं पंजीकृत भट्टों से पूरे सीजन वर्ष में ` 358.85 करोड़ की लक्षित धनराशि प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक भट्टे के लिए नियत समाधान राशि में 7.40% की वृद्धि कर दी जाये तथा शासन के निर्देश के प्रस्तर (17) के प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01-10-2011 के पश्चात् अर्थात् सीजन वर्ष 2011-12 के दौरान स्थापित एवं पंजीकृत भट्टों के लिए नियत समाधान राशियों में भी तदनुसार 7.40% की वृद्धि की जानी होगी ।

4- अतः ईट-भट्टा सीजन वर्ष 2011-2012 (दिनांक 01-10-2011 से दिनांक 30-9-2012 तक की अवधि) से सम्बन्धित शासन के निर्देश पत्र संख्या-क0नि0-1318/ ग्यारह-2-2011-9(32)/09 दिनांक 19-12-2011 के प्रस्तर (16) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये `358.85 करोड़ के राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु भट्टे के लिए नियत समाधान राशि में 7.40% की वृद्धि का एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है। समाधान राशियों में यह वृद्धि दिनांक 1-10-2011 के पूर्व पंजीकृत व स्थापित पुराने भट्टों के मामलों में लागू होने के साथ-साथ सीजन वर्ष 2011-2012 के दौरान स्थापित एवं पंजीकृत ईट भट्टों पर भी लागू होगी। उपर्युक्त 7.40% की दर से बढ़ी हुई धनराशि दि0 20-05-2012 तक जमा करनी होगी।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करते हुये इसकी पर्याप्त प्रतियां कराकर ईट-भट्टा संगठनों एवं अधिवक्ता संघों को उपलब्ध कराते हुये इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

(हिमांशु कुमार)
कमिशनर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0प0सं0एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / अस्सिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0 / स0द0) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी कमि0/असिस्टेंट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/ डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ।

- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (26) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुलसाफा लखनऊ ।
- (27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (28) एसोसियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (31) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (32) कन्फेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों/सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वान्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से ।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस०कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर ।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (37) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (38) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (39) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (40) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -24/ कुंजगली, चौक, वाराणसी ।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर ।
- (43) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र० ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (45) आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (48) इन्डियन इण्डोएसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
- (49) संयोजक, टैक्सेशियों एक्जैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (53) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (55) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29), विधायक निवास, दारुल शाफा, लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र माल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, 30 बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (65) श्री रमेश कैसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।

- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू0पी0)

(बी0एन0 द्विवेदी)

ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मु0 ।